जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक ....26/10/20.09. को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या 0398........................ सन्....................... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमती आशिया बिल्डकॉन प्रा. लि. जरिये निदेशक अशोक अग्रवाल पुत्र/पत्नी सूरजमल .... जाति महाजन व्यवसाय .... निवासी 35, श्याम नगर, सोडाला, पुरा-करधनी, जयपुर (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत् में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो ..निजी खातेदार.. गृह निर्माण सहकारी समिति की गोविन्द विहार योजना में स्थित स्थान ग्राम हरिमाथपुरा भूखण्ड संख्या ....139..... क्षेत्रफल ...1454.01.8.5.9.2 और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर......5/-............ रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि ....7,204............ रुपये देय होती है जो चालान नं. ...5865.......... दिनांक .26.10.09... से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज राशि .5,763/-..... रुपये होती है जो चालान नं. 5865............ दिनांक .26.10.09.... से जमा है।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक पं. 5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है। तथा नियमन आयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।
6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं **दी राज. इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी।** यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

उप पंजीयक सांगानेर

उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नोट :- इस भूखण्ड की [illegible] पंजीकृत मूल्य राशि रु. 28,817/— होती है। अतएव स्टाम्प नं. 3314, 3315 स्टाम्प रुपये 1450+10 संख्या 2 वहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 2004 माह अक्टूबर के 25 वें दिन सोमवार श्री [illegible] सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन 14 जयपुर।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एवं

पट्टेदार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर में निम्न साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर [signature] किये।

पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम Manoj YADAV
   पिता/पति का नाम K.K. YADAV
   व्यवसाय Service
   निवास स्थान Jaipur

   साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम Ramesh GUJJAR
   पिता/पति का नाम SH. Prabhu Lal Gujjar
   व्यवसाय Service
   निवास स्थान S-172 Shree Ram Vihar Jaipur

   साक्षी के हस्ताक्षर

SPECIAL ADHESIVE

2 6 OCT 2009

उप पंजीयक

1450415

(-14)

आज दिनांक 27 माह अक्टूबर सन् 2009 को 03:33 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK AGARWAL (DIR) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ AGARWAL
उम्र 45 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी 25 DAYAL NAGAR GOPALPUA BY PASS JAIPUR
ने यह दस्तावेज कार्यालय पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2009067005558)
((Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक सांगानेर प्रथम
SANGANER I

रसीद नं०	[2009067005934]
दिनांक	[27-10-2009]
पंजीयन शुल्क रु०	290
प्रतिलिपि शुल्क रु०	0
पृष्ठांकन शुल्क रु०	100
अन्य शुल्क रु०	0
कमी स्टाम्प शुल्क रु०	0
कुल योग रु०	390

(2009067005558) उप पंजीयक SANGANER सांगानेर प्रथम
((Lease deed for local bodies (Patta)))

SPECIAL ADHESIVE

SPECIAL ADHESIVE

उप पंजीयक, सांगानेर जयपुर

पंजीयन-विभाग

139 — 1440.83

1450+10 — रु. के

उपायुक्त (जोन-14)
ज. वि. प्रा., जयपुर

* मनीष कुमार *
स्टाम्प विक्रेता ला. नं. 623/01
345, ब्लॉक 10-
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

	Signature	Photo	Thumb
1-ASHOK AGARWAL (DIR) / SURAJ AGARWAL उम्र -45 वर्ष जाति - MAHAJAN , व्यवसाय -BUSINESS निवासी - 25 DAYAL NAGAR GOPALPUA BY PASS JAIPUR		☒	☒

(And Claimant)

Ashok Agarwal

ने उक्त Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशि रू0 28817/- पूर्व में/सेकण्ड / मे से रू0 28817/- पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री NIRMAL KUMAR SINGHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री BANWARI LAL
उम्र -27 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 23, GONER ROAD ,JAGATPURA ,JAIPUR

☒

ने की है जिनके समक्ष हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष किये गये है।

(2009067005558)
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक SANGANER प्रथम

उप पंजीयक

पंजीयन विभाग

के भूखण्ड 139 1440·83

रु. की

की लीज 1450+10

स्टाम्प

उपायुक्त (जोन–14)
ज. वि. प्रा., जयपुर

क्रमांक 5714 [illegible] दिनांक 26/10/09
[illegible] 14522
[illegible] आशीष [illegible]
[illegible] तथा [illegible]
[illegible]

[illegible] 10-B, [illegible] जयपुर

धारा 8A के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र
की मालियत रुपये 28817
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रुपये 290 कुल रुपये 290 अतिरिक्त रसीद संख्या
[2009067005934]
दिनांक [27-10-2009] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 1450
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2009067005558) उप पंजीयक सांगानेर प्रथम
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 27/10/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 631
में पृष्ठ संख्या 13 क्रम संख्या 2009067003413 पर
पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2120
के पृष्ठ संख्या 160 से 174
पर चस्पा किया गया।

(2009067005558) उप पंजीयक, SANGANER प्रथम
Lease deed for local bodies (Patta)

निजी [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 139 [illegible] [illegible]
[illegible] 1450+00 रु. को
स्टाम्प [illegible]

(जोन-14)
प्र. नि. प्रा. जयपुर

उप पंजीयक [illegible] सांगानेर जयपुर

3314 … दिनांक 26/6/09
1450

345 … 10-

उपायुक्त (जोन–14)
ज. वि. प्रा., जयपुर

उप पंजीयक सांगानेर प्रथम

क्रमांक 3314 [illegible] दिनांक 24/10/09

[illegible] 1450

[illegible] कार्तिक [illegible] प्रा. लि.

[illegible]

[illegible] 6301

[illegible] 10 [illegible]

[illegible]

2 6 OCT 2008

SPECIAL ADHESIVE

... 139 ... 1440.83

... 1450410 रु. की

स्टाम्प ...

... (...–14)

उ. नि. प्र., जयपुर

उप पंजीयक सांगानेर प्रथम

क्रमांक 2314 विक्रय का दिनांक 26/4/09

[illegible] 1500/-

[illegible] नाज़ीम किदवाई पी. 10

[illegible]

[illegible]

* मनीष कुमार *
स्टाम्प विक्रेता ला. नं. 623/
345, स्कीम 10-B,
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

SPECIAL ADHESIVE

12 OCT 2009

139

1440-83

रु. के

1460x10

(जोन-14)

ज. वि. प्रा. जयपुर

उप पंजीयक सांगानेर प्रथम

3316 26/10/19

100

आशीष फिनकॉन प्रा. लि.

* मनोज कुमार *
स्टाम्प विक्रेता ला. नं. 623,0
345, स्कीम 10-B,
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

SITE PLAN OF PLOT NO. 139

SCHEME : GOVERDHAN VIHAR - H BLOCK

VILLAGE- JAIMANMOHANPURA URF MALWA & NAHRIYA KA BAS TEH.- CHAKSU, JAIPUR

(NIJI KHATEDARI)

AREA : 1440.83 Sq.Yrds. (1204.71 Sq.M.)

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA : AS PER BYE LAWS

1 INCH = 50 FEET

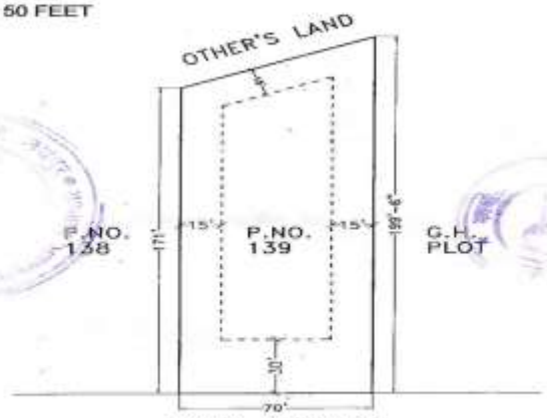

SITE ENGINEER (ZONE-14)

TPA/ATP (ZONE-14)

DY. COMMISSIONER (ZONE-14)

JAIPUR DEVELOPEMENT AUTHORITY, JAIPUR.

आज दिनांक 27/10/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 631
के पृष्ठ संख्या 13 क्रम संख्या 2009067003413 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2120
के पृष्ठ संख्या 160 से 174
पर चस्पा किया गया।

(2009067005558)
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक-बीकानेर (प्रथम)

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SR OFFICE CHAKSU
CHAKSU
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

ee Sr. No. : 2013009269 Dated 13/06/2013
resenter Name : ASHOK AGARWAL Face Value : 4500000
resenter Address : JAIPUR
ocument Type : SALE DEED (CONVEVANCE DEED)
laimant Name : GRANDIOSE BUID. P. L. DIR. ANISH RAJ SETHI , JAIPUR
ocument S.No. : 2013009738 Stamp Value : 100

rdinary Registration Fee	: 45000	Commission Fee	: 0
opy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
ee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
ertified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 194310
urcharge on Stamp Duty	: 19450		
ate Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 259060

Amount Rs. Two Lakh Fifty Nine Thousand Sixty only

ashier

Sub Registrar, CHAKSU

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

V 086735

- 2 APR 2012

विक्रय–पत्र :–

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 13-4-12 ईस्वी को मैसर्स आशिष बिल्डकॉन प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री अशोक अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल अग्रवाल जाति महाजन पता 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान (जिसे आगे इस विक्रय पत्र में प्रथम पक्ष (विक्रेता) के नाम से सम्बोधित किया गया है और शब्द प्रथम पक्ष–विक्रेता में प्रथम पक्ष–विकेता के समस्त उत्ताराधिकारी, स्थानापन्न, वारिसान, सदस्य, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, असाईनीज आदि सम्मिलित समझे जावेंगे)

— प्रथम पक्ष–(विक्रेता)

बहक

मैसर्स ग्रांडयोज बिल्डटेक प्रा. लि., कार्यालय 602, छठी मंजिल, वैभव मल्टीप्लैक्स, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान, जरिये निदेशक अनिश राज सेठी पुत्र श्री एच.सी. सेठी निवासी प्लाट नं. 53, गिरनार 16–ए, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान (जिन्हें आगे इस विक्रय पत्र में द्वितीय पक्ष (क्रेता) के नाम से सम्बोधित किया गया है और शब्द द्वितीय पक्ष–क्रेता में द्वितीय पक्ष–क्रेता के समस्त उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, वारिसान, सदस्य, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, असाईनीज आदि सम्मिलित समझे जावेंगे)

— द्वितीय पक्ष(क्रेता)

के मध्य निम्न प्रकार निष्पादित किया गया है:–

उप पंजीयक (जयपुर)

For Ashish Buildcon Pvt. Ltd.

Ashok Agarwal

Director

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

जो कि प्रथम पक्ष के स्वामित्व व अधिकार में निजी खातेदारी की योजना गोवर्धन विहार –एच ब्लाक स्थित ग्राम नाहरिया का वास तहसील चाकसू जिला जयपुर में भूखण्ड संख्या 139 जिसका कुल क्षैत्रफल 1440.83 वर्गगज है। जिसका जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा नियमन कर (लीज होल्ड) पर प्रथम पक्ष को पुनः आवंटित किया गया है। जिसकी शहरी जमाबन्दी एक मुश्त जमा है। उसके बाद आवासीय प्रयोजनो के लिए निजी खातेदारी योजना के अन्तर्गत भूखण्ड का आवासीय पट्टा विलेख संख्या 0398 दिनांक 26.10.2009 ईस्वी को प्रथम पक्ष के नाम से जारी कर दिया गया। जिसका पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के यहां पर दिनांक 27.10.2009 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 631 में पृष्ठ संख्या 13 क्रम संख्या 2009067003413 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2120 के पृष्ठ संख्या 160 से 174 पर चस्पा किया गया।

(उक्त भूखण्ड की नाप एवं चारो सीमाओं की विस्तृत जानकारी के लिए इस दस्तावेज विक्रय पत्र के साथ नक्शा लगाया गया है। जो इस दस्तावेज का एक अभिन्न अंग होगा)

इस प्रकार प्रथम पक्ष उपरोक्त वर्णित भूखण्ड संख्या 139 क्षैत्रफल 1440.83 वर्गगज का बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, काबिज, व स्वामी हुआ। जिसे विक्रय करने का प्रथम पक्ष विक्रेता को पूर्ण अधिकार है। प्रथम पक्ष विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित भूखण्ड को आज इस विक्रय पत्र निष्पादन के समय विक्रय, रहन, बख्शीश काश्तकारी आदि किसी भी प्रकार से किसी दीगर व्यक्ति, बैंक, संस्था आदि के हित में हस्तान्तरित नही किया हुआ हैं तथा उपरोक्त वर्णित भूखण्ड प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से प्रत्येक प्रकार के झगड़ो, टण्टों, वाद–विवाद, ऋण जमानत, कर्जा, कुर्की इत्यादि के भार से पूर्णतया मुक्त पाक व साफ हैं। जिसे प्रथम पक्ष विक्रेता को हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना हक प्राप्त है।

यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त भूखण्ड को क्रय करने का प्रस्ताव रखा गया जिसको प्रथम पक्ष विक्रेता ने स्वीकार किया जिसके परिपेक्ष में उक्त भूखण्ड का विक्रय किया जा रहा हैं। इसलिए प्रथम पक्ष विक्रेता के हक, हकूक, अधिकार एवं कब्जे का भूखण्ड संख्या 139 क्षैत्रफल 1440.83 वर्गगज स्थित योजना गोवर्धन विहार–एच ब्लाक ग्राम नाहरिया का बास तहसील चाकसू जिला जयपुर को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में समस्त स्वत्वाधिकारों सहित एवं अधिकारों सहित एक मुश्त रूपये 45,00,000/– (अक्षरे पैंतालीस लाख रूपये मात्र) की एवज में द्वितीय पक्ष क्रेता को अन्तिम रूप से विक्रय कर दिया है। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का उक्त भूखण्ड में किसी भी प्रकार का स्वतत्व, अधिकार, हित नहीं रहा है तथा प्रथम

For Ashish Buildcon Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक चाकसू (जयपुर)

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से उक्त विक्रय की गई भूखण्ड की कुल राशि रूपये 45,00,000/– (अक्षरे पैंतालीस लाख रूपये मात्र) निम्न प्रकार से प्राप्त कर ली है–

क्र.सं.	चैक संख्या	राशि	बैंक का नाम
1.	002988	45,00,000/–	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	कुल किता चैक–1	कुल राशि– 45,00,000/–	

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य राशि की प्राप्ति होना प्रथम पक्ष विक्रेता इस विक्रय पत्र में स्वीकार करता है। अब प्रथम पक्ष विक्रेता को द्वितीय पक्ष क्रेता से विक्रय राशि पेटे कुछ भी लेना बकाया नहीं रहा है।

यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय किये गये भूखण्ड का समस्त मालिकाना हक, हकूकों सहित कब्जा भौतिक रूप से दे दिया है। उक्त भूखण्ड को मौके पर क्रेता ने नाप–जोख कर संभाल लिया है जिससे क्रेता पूर्णतया संतुष्ट है तथा इसकी पुष्टि इस विक्रय पत्र में भी करते है तथा उक्त विक्रय किये गये भूखण्ड के सम्बन्ध में आज से पूर्व जो अधिकार बहैसियत मालिक प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये हैं अर्थात समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क्रेता में निहित हो गये हैं।

यह कि विक्रय किये गये भूखण्ड का अब आज से द्वितीय पक्ष क्रेता एकमात्र मालिक व स्वामी काबिज है तथा अब द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त भूखण्ड को इस विक्रय पत्र के आधार पर अपनी इच्छानुसार जिस तरह से भी चाहे काम में लेवे, उपयोग, उपभोग करे उक्त भूखण्ड पर पटटे में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप मंजिल दर मंजिल निर्माण करावे, पानी, बिजली के कनेक्शन अपने नाम प्राप्त करे, राज्य सरकार द्वारा कायम किये हुए शुल्क जमा करावे, सम्बन्धित महकमात जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, नगर निगम, जलदाय विभाग, विधुत विभाग आदि में इस दस्तावेज विक्रय पत्र के जरिये अपने नाम का इन्द्राज करावे, किसी को किराये पर देवे, किसी अन्य के यहाँ रहन, बैय आदि कर फायदा उठावे, कहने का तात्पर्य जिस प्रकार चाहे उपयोग व उपभोग कर लाभ अर्जित करे, आज के बाद उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में जो लाभ प्राप्त होगा वह क्रेता द्वितीय पक्ष प्राप्त करने का हकदार होगा। इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता को एवं उनके वारिसान आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में नाम हस्तान्तरण करवाने अथवा जब भी द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रथम पक्ष विक्रेता के हस्ताक्षरों, बयानों, गवाही अथवा किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी तो वह सभी प्रकार की कार्यवाही आदि करने के लिए तथा द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रत्येक प्रकार से सहयोग करने हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता सदैव पूर्ण रूप से बाध्य है व रहेगा।

उप पंजीयक (जयपुर)

For Ashish Buildcon Pvt. Ltd.

Director

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता व द्वितीय पक्ष क्रेता के सब अधिकार व उत्तरदायित्व सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार लागू होंगे।

यह कि विक्रय किये गये उक्त भूखण्ड को संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दिखाया गया है। नक्शा इस दस्तावेज विक्रय पत्र का एक अंग होगा। उक्त भूखण्ड अविकसित है, आवासीय उपयोग का है। उक्त भूखण्ड जहां है, जैसा है वैसी अवस्था में ही विक्रय किया गया है। उक्त भूखण्ड पर कोई निर्माण नहीं है, जिसकी मालियत जरे विक्रय पत्र कीमतन से अधिक नहीं है।

विक्रय पत्र के पंजीयन से सम्बन्धित समस्त खर्चा मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क आदि अन्य खर्चे क्रेता ने अपने पास से अलावा विक्रय मूल्य वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता के हित व हक में स्टाम्प पेपर कीमती रूपया 100/– रूपये व 03 पाई पेपर पर अपनी राजी खुशी से तहरीर कर इसे पढ सुन व समझकर स्वीकार कर स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बगैर किसी दबाव व नशे पते के तहरीर कर अपने हस्ताक्षर समक्ष गवाहान कर दिये।

गवाहान:

1. हस्ताक्षर शिवसिंह

नाम: शिवसिंह

पिता का नाम: रमेश चन्द

जाति गुर्जर उम्र 24 वर्ष,

व्यवसाय: व्यापार

निवास स्थान: जयपुर

2. हस्ताक्षर

नाम: Nirmal Singhal

पिता का नाम: Sh. B. L. Singhal

जाति Mahajan उम्र 30 वर्ष,

व्यवसाय : Service

निवास स्थान: 23, [illegible] Road, Jpr.

हस्ताक्षर विक्रेता

For Ashish Buildcon Pvt. Ltd.

Director

(मैसर्स आशिष बिल्डकॉन प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री अशोक अग्रवाल)

Pan no. AABCA5581A

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

हस्ताक्षर क्रेता

(मैसर्स ग्रांडियोज बिल्डटेक प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री अनिश राज सेठी)

Pan no. AAECR2437D

उप पंजीयक जयपुर (जयपुर)

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

SITE PLAN OF PLOT NO. 139

SCHEME : GOVERDHAN VIHAR - H BLOCK

VILLAGE- JAIMANMOHANPURA URF MALWA & NAHRIYA KA BAS TEH. CHAKSU, JAIPUR

(NIJI KHATEDARI)

AREA : 1440.83 Sq.Yrds. (1204.71 Sq.M.)

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA : AS PER BYE LAWS

1 INCH = 50 FEET

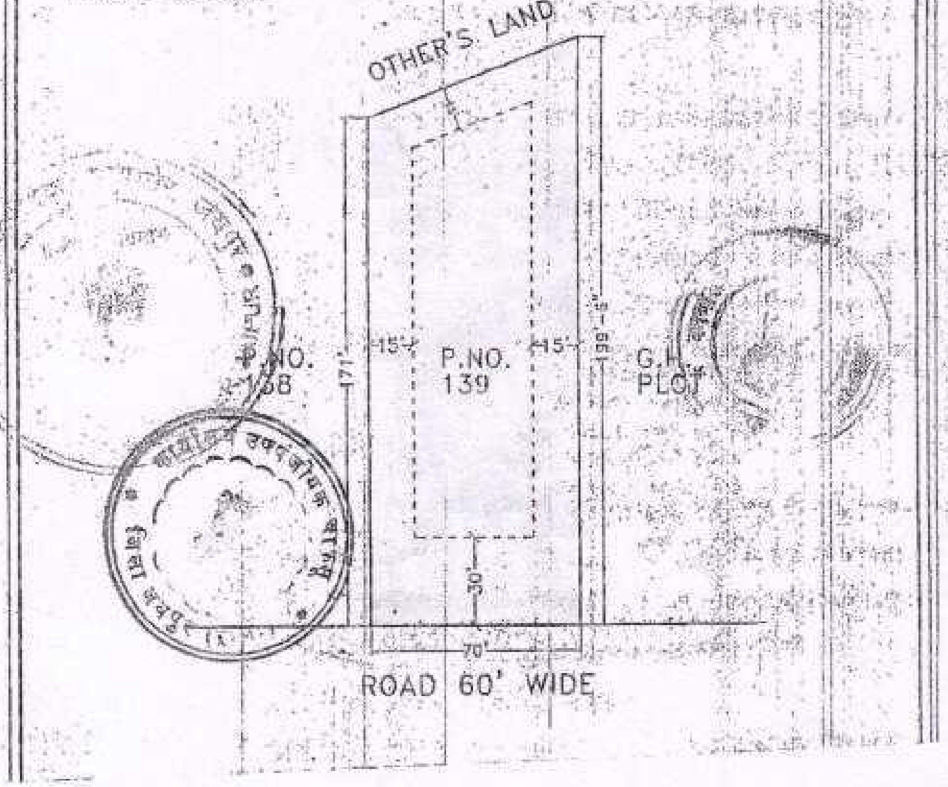

For Ashish Buildcon Pvt. Ltd.

Director

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक
चाकसू (जयपुर)

For Grandiose Buildteck Pvt. Ltd.

Director